

पत्रांक : दिनांक :

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

विषय :- सी०सी०एल० की कोनार वाशरी एवं अन्य परियोजना हेतु 68.40 हे० वनभूमि
अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- सरकार के उप सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड
सरकार का पत्रांक 5455 दिनांक 01.12.2016, प्रधान मुख्य वन
संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का
ज्ञापांक 1090 दिनांक 07.12.2016।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि सरकार के उप
सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 5455 दिनांक
01.12.2016 के द्वारा सी०सी०एल० की कोनार वाशरी एवं अन्य परियोजना हेतु 68.40 हे० वनभूमि
अपयोजन के प्रस्ताव के क्रम में कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी। वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
बोकारो वन प्रमण्डल के द्वारा उक्त पृच्छाओं का निराकरण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो
निम्नवत् है :-

Sl. No.	Query raised by State Govt.	Reply from User Agency	DFO's comment
1	2	3	4
(क)	Details of alternatives examined संबंधी प्रतिवेदन।	A committee of CCL & CMPDI was constituted to examine the alternative site. It was observed by committee that at Bermo coalfields where the site is proposed, there is no possibility at all to find a non forest within the radius of 15 km. it is also to mention that this washery is a pit head washery, for which many a times Gov. of India has insisted to bring pit head washery. Therefore this site may kindly be accepted.	The user agency submitted that there is no alternative site within the vicinity of 15 km to establish the washery.
(ख)	प्रस्तावित परियोजना के Lease का status.	The land for this project has been acquired under CBA Act 1957 & as per letter of mines & mineral department of Jharkhand, mining lease is not required for such class of land vide (letter ref no. kha. Ni. (vividh)-195/2012/2438/M, Ranchi dtd. 27.11.2012) (letter enclosed).	The NPV for the entire lease area has to be demanded as per letter no. F.No. 11-85/2016FC dated 31 st March of MoEF. However, the land schedule for the lease area has not been submitted, so the demand for NPV could not be raised.

No.	Query raised by State Govt.	Reply from User Agency	DFO's comment
1	2	3	4
(ग)	प्रस्ताव के पार्ट-II की कंडिका-4 (ii) में वृक्षों के गणना सूची में Nill प्रतिवेदन है, जबकि प्रस्तावित वनभूमि पर 18137 वृक्षों के अवस्थित होने की सूचना दी गई है। तदनुरूप पार्ट-II में Online सुधार कर संशोधित पार्ट-II की प्रति।	To be dealt by forest division office.	The tree enumeration list has been uploaded. and the hard copy of the same has been forwarded earlier.
(घ)	प्रस्तावित वनभूमि का सक्षम स्तर से duly authenticated land schedule.	This proposal controls only notified forest & GM(JJ) for which NOC for JJ has been obtained & submitted. Thus authentication for same land is not required. This may please be accepted.	The District Collector in the process of settlement of rights for 68.40 Ha, which includes 2.5 Ha of GM (JJ) has duly settled the rights against the diversion of GM (JJ) for the project.
(ङ)	प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में FRA के अंतर्गत प्रमाण-पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)	The required document of FRA along with proceedings enclosed.	The FRA documents showing settlement of rights for 7.50Ha. is annexed .
(च)	प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड का मतव्य।	To be dealt by state forest department.	The Chief Wildlife Warden, Jharkhand may give his opinion.
(छ)	नोडल पदाधिकारी के पत्र की कंडिका-12 में उल्लेख है कि जंगल-झाड़ भूमि का उपायुक्त, बोकारो द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है परन्तु प्रस्ताव में सन्निहित जंगल-झाड़ी से संबंधित उपायुक्त, बोकारो द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। प्रस्ताव में सन्निहित गैरमजरूआ जंगल-झाड़ भूमि के संबंध में अनापति प्रमाण-पत्र।		A separate NOC for 2.5 Ha GM (JJ) has not been issued by the Deputy Commissioner, Bokaro However, the same has been acknowledge by him against the diversion of 2.5 Ha. GM (JJ) while settling the rights under FRA for the above mentioned GM (JJ).

अतः प्राप्त अनुलग्नकों की छः प्रतियाँ संलग्न अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि यथोचित अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०:- 1. प्रस्तावित वनभूमि का land schedule.

विश्वासभाजन

2. FRA के अंतर्गत प्रमाण-पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)।

ह०/-

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

ज्ञापांक 2358, दिनांक 30/12/16

प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल को उनके पत्रांक 4236, दिनांक 28.12.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, बोकारो।
30/12/16
उपायुक्त